

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/फार्मासिस्ट/(सीधी भर्ती-2013)/विविध/2018/157

दिनांक: 03.05.2018

--आदेश--

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 147 दिनांक 26.02.2013 के संदर्भ में निदेशालय के आदेश क्रमांक: नर्सिंग/फार्मासिस्ट/(सीधी भर्ती-2013)/2016/218 दिनांक 12.08.2016 के द्वारा 554 अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर अंतिम चयन तथा 189 अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर प्रोविजनल चयन किया गया था तथा याचिका संख्या 14654/2016 महिपाल सिंह भाटी व अन्य बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 12.04.2017 के द्वारा फार्मासिस्ट के 411 पदों पर भर्ती किये जाने का निर्णय पारित किये जाने की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक 382 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा 294 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन तथा 56 फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन किया गया था। प्रोविजनल रूप से चयनित 189 अभ्यर्थियों में से 161 अभ्यर्थिया तथा 56 फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में से 30 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। फार्मासिस्ट भर्ती 2013 में चयन हेतु गठित समिति प्रभारी, शासन संयुक्त सचिव (एनएचएम) द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2013 द्वारा जांच में सही पाये जाने पर पत्र क्रमांक 1652 दिनांक 13.03.2018 एवं परिवेदना निस्तारण एवं चयन समिति की बैठक दिनांक 20.03.2018 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 110 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा कुल 12 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर सूची प्रस्तुत की है। प्रोविजनल रूप से चयनित 56 फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में से शेष 26(56-30) में से 12 अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर चयन कर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पद की पे-मेट्रिक्स लेवल-10 में नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रुपये 23700/- प्रतिमाह पर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान पर किया जाता है।

Sr. No.	Appl No.	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Gender	Category	Place of Posting Under CMHO
1	6010011367	Hemant Menaria	Balesh Kumar Menaria	05-Nov-85	Male	General/Unreserved	RNT Medical College, Udaipur
2	6010011041	Margesh Kumar Gangawat	Mahaveer Prasad Gangawat	05-Mar-82	Male	General/Unreserved	ESI Rishabdev, Udaipur
3	6010011006	Madan Lal Mali	Chunni Lal Mali	10-Mar-77	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	Aadarsh PHC, Pai Udaipur
4	6010006197	Vijendra Singh Rathore	Shiv Singh Rathore	08-Oct-83	Male	General/Unreserved	Aadarsh PHC, Bedla Udaipur
5	6010004780	Suresh Kumar Saini	Ramswaroop Saini	01-Jul-76	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	Aadarsh PHC, Revasa Sikar
6	6010013213	Bheekha Ram	Mangna Ram	20-May-73	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	Govt. Hospital Barmer
7	6010011861	Rithik Audichya	Vishnu Sharma	25-Mar-88	Male	General/Unreserved	Aadarsh PHC, Devari Baran
8	6010011553	Saty Narayan Sharma	Zhomer Lal Sharma	18-Jul-77	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	Mahatma Gandhi Hospital, Jodhpur
9	6010011605	Ashok Kumar Parihar	Raja Ram Parihar	07-Oct-72	Male	O.B.C. Non-Creamy layer)	Aadarsh PHC, Dhawa Jodhpur
10	6010011231	Shweta Sharma	Ravindra Nath Sharma	26-Jun-83	Female	O.B.C. (Non-Creamy layer)	New Drug Testing Lab, Jodhpur
11	6010012964	Dheeraj Kuldeep	Ganpat Lal Kuldeep	01-Nov-82	Male	S.C.	Aadarsh PHC, Mundaroo Sikar
12	6010009951	Naresh Kumar Jeengar	Kamal Chand Jeengar	13-Jan-80	Male	S.C.	PMO Bhitwara

परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत ही पद की नियमित पे-मेट्रिक्स के लेवल-10 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

यह पदस्थापन सूची रिट संख्या 16443/2015, 15352/2015, 15851/2015, 3578/2015 एवं 4995/2016 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर विचाराधीन याचिकाओं के निर्णय के अध्यक्षीन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवम् माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर व अन्य माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।

पदस्थापन सूची निम्न शर्तों के अध्यक्षीन जारी की जा रही है:-

1. पदस्थापन सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती-2013/2015/390 दिनांक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती-2013/2015/391 दिनांक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति बाबत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या: एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
4. संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि का जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित किया जाना है।
5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)
6. अभ्यर्थियों द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। सभी अभ्यर्थी जिनका पदस्थापन किसी भी संस्थान में किया गया हो प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी कार्यालय में ही देंगे। संबंधित मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधि० द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के उपरांत जिला कलेक्टर के अनुमोदन से अभ्यर्थियों को अपने अधीन अथवा जिन संस्थानों में पदस्थापन किया गया है में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करेंगे।
7. उक्त सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, फार्मसी कौंसिल में 02.04.2013 तक पंजीयन एवं कार्यग्रहण करने की तिथि तक नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सभी छाया प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल ज्यूरिस्ट/मु.चि.एवं स्वा.अधि.) एवं संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
9. अभ्यर्थी का पदस्थापन जिस संस्थान में किया गया है उस संस्थान के कार्यालयध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त कर जारी करने वाली संबंधित संस्था से सत्यापन करायेगा। सत्यापन होने एवं सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को उनके मूल दस्तावेज लौटाये जावेंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।

10. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प015(1) कार्मिक/क-2 /74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
11. यह नियुक्ति/आदेश संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
12. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. अन्य पिछड़ा वर्ग का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र कार्यग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, जिसमें क्रीमीलेयर/नॉनक्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिये। इन वर्गों के क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
14. ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष योग्यजन श्रेणी (वन लेग/बोथलेग) में चयनित हैं, उन्हें अपनी निःशक्तता के संबंध में चिकित्सा मण्डल (Medical Board) द्वारा जारी मूल निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन विधवा अथवा परित्यक्तता श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध किया गया है उन्हें इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किया है।
16. नवचयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धूम्रपान अथवा नशा नहीं किया जावेगा।
17. जिन अभ्यर्थियों को चयन में अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये हैं, उन्हें विज्ञप्ति में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल अनुभव प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा।
18. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अन्य राज्यों में एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया गया है इन अभ्यर्थियों का आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02.04.2013 को राजस्थान फार्मसी कौंसिल, राजस्थान जयपुर में पंजीयन एवं कार्य ग्रहण तिथि को पंजीयन नवीनीकृत होना अनिवार्य है।
19. जिन अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध किया गया है उन अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवास करने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
20. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् जारी किये जावेंगे।
21. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प0 1(1) कार्मिक/(क-2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।
22. यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जारी किये जा रहे हैं।
23. इस आदेश की पालना में कार्यग्रहण किये जाने की अंतिम तिथि 23.05.2018 निर्धारित है। निर्धारित तिथि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

sd -

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 03-05-2018

क्रमांक: नर्सिंग/फार्मासिस्ट/(सीधी भर्ती-2013)/विविध/2018/157

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राज0, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7. निजी सचिव, शासन संयुक्त सचिव (एनएचएम) एवं प्रभारी फार्मासिस्ट भर्ती-2013, राजस्थान जयपुर।
8. संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
9. निदेशक, (जन स्वा./आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
10. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
11. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थियों से संबंधित मूल आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आदि दिनांक 08.05.2018 को विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें तथा निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनांक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर से प्रतिनिधि मनोनित करवाएँ तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 391 दिनांक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान के लिये जिला कलेक्टर के अनुमोदन के उपरान्त आदेशित करें :-
 - (i) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग (ओबीसी/एसबीसी/एससी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया) में चयन हुआ है उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैद्य मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
 - (ii) जिन अभ्यर्थियों का चयन एसटी (टीएसपी)/एससी (टीएसपी) क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध किया गया है उनके द्वारा टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे।
 - (iii) ओबीसी/एसबीसी वर्ग में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण तिथि को वैद्य नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (नॉन किमीलेयर) प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करावे।
 - (iv) आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम अथवा पिता एवं पति दोनों के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने पर ही कार्यग्रहण करावे, केवल पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
 - (v) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
 - (vi) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये हैं। यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
 - (vii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अर्थात् कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने एवम् सही पाये जाने के पश्चात् ही प्रार्थी को मूल दस्तावेज लौटावे।
 - (viii) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
 - (ix) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (x) दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कांट-छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावे एवं अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नहीं करावे।
 - (xi) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
12. संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त कर उनके लिये आवंटित स्थान पर पदभार ग्रहण करें।
13. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
14. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर